कैलिफोर्निया में मतदान करन संबंधी गाइड

मतदान कैलिफोर्निया
www.sos.ca.gov

मतदान क्यों करें?

चनाव हमार लोकतंत्र का महत्वपर्ण तत्व ह। मतदान करन स हमार राष्ट्र, हमार राज्य और उन समदायों की तस्वीर बदल सकती ह जिनम हम रहते ह। आपका मत राष्ट्रपतियों, काग्रस म हमार प्रतिनिधियों, हमार राज्य विधान-मडल, नगर परिषद क सदस्यों, न्यायाधीशों और उन अनक व्यक्तियों को चनन म सहायता करता ह जिनक निर्णयों का हमार रोज़मर्रा क जीवन म सीधा प्रभाव होता ह। मत-पत्र क माध्यम स, आपक पास नए कानन बनवान या उन काननों को रद्द करवान की शक्ति भी होती ह जिनस आप असहमत होते ह।

मतदान करन क अधिकार क लिए कड़ी लड़ाई लड़ी गई ह। हमार राष्ट्र क इतिहास म पहल महिलाओं, अल्पसख्यकों और गर-भस्वामियों को मतदान करन की मनाही थी। अमरीकी सविधान में 19व सशोधन क अंतगत महिलाओं को मतदान करन का अधिकार दन स नौ वष पहल, 1911 म महिलाओं न कलिफोर्निया म मतदान करन का अधिकार प्राप्त कर लिया। कवल 50 वष पहल, राष्ट्रपति Lyndon Johnson न मतदान अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जो अफ्रीकी—अमरीकियों, और बाद म अन्य प्रजातीय अल्पसख्यकों क लिए मतदान प्रक्रिया म भाग लन की बाधाएं हटान क लिए तैयार किया गया सघीय कानन था। हमार राष्ट्र क दिग्गजों न यह भी सनिश्चित किया ह कि मतदान करन क अधिकार सहित, हमार लोकतात्रिक सिद्धान्तों की रक्षा की जाए।

मतदान करन क लिए पजीकरण करवाकर और मतदान दिवस पर मतदान करक आपक पास हमार लोकतंत्र को मज़बत बनान की शक्ति ह। कलिफोर्निया क सक्रट्री ऑफ स्टट उन व्यक्तियों की विरासत का सम्मान करन क लिए वचनबद्ध ह जो मतदान करन क आपक अधिकार की रक्षा करक हमार लोकतंत्र क लिए बहत बहादरी स लड़ ह।

इस गाइड म मतदाताओं क बहत स अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया ह और इसम आप द्वारा मतदान करन और अपनी राय बतान क लिए आवश्यक महत्वपर्ण सचना दी गई ह।

क्या मैं मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकता/सकती हूँ?

कैलिफोर्निया में मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाने के लिए ज़रूरी है कि:

- आप संयुक्त राज्य के नागरिक हों,
- आप कैलिफोर्निया के निवासी हों,
- चुनाव के दिन आपकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो,
- किसी गंभीर अपराध का दोष सिद्ध होने पर वर्तमान में राज्य या संघीय कारावास में या पैरोल पर न हों; और
- आपको वर्तमान में किसी कानूनी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो।

मैं मतदान करने के लिए पंजीकरण कैसे करूँ?

आप RegisterToVote.ca.gov पर जा सकते हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल कर सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण आवेदनपत्र पूरे राज्य में बहुत-से स्थानों में उपलब्ध कराए जाते हैं:

- काउंटी चुनाव कार्यालय या सिटी हॉल
- मतदान केंद्र या सेटलाइट कार्यालय (जहां लागू हो)
- सार्वजनिक लाइब्रेरिया
- पोस्ट ऑफिस
- डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स के क्षेत्रीय कार्यालय
- राज्य और काउंटी सामाजिक सेवाएं कार्यालय
- राज्य और काउंटी मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय
- डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन के कार्यालय
- इंडीपेंडेंट लीविंग सेंटर
- डिपार्टमेंट ऑफ डिवेलप्मेन्टल सर्विसिज़ के क्षेत्रीय केंद्र
- फ्रेंचाइजी टैक्स बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कार्यालय
- सशस्त्र सेनाओं के भर्ती कार्यालय

अगर आपके पास कैलिफोर्निया का पहचान-पत्र या ड्राइवर लाइसेंस है, तो आपको अपने मतदाता पंजीकरण आवेदनपत्र पर नंबर अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि आपके पास पहचान के उन दो प्रकारों में से कोई नहीं है, तो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंतिम चार अंक प्रदान करें। यदि आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो आपको केवल मतदान प्रयोजनों के लिए ही एक अद्वितीय पहचान संख्या दी जाएगी।

मैं मतदान करने के लिए पंजीकरण कब करूँ?

हालाँकि आप किसी भी समय मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, फिर भी अधिकाँश मामलों में आपको किसी चुनाव में मतदान करने का पात्र होने के लिए चुनाव के दिन के कम से कम 15 दिन पहले पंजीकरण कराना होगा। अंतिम तारीख निकल जाने पर, आप मतदान करने के लिए सशर्त पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से संपर्क करें या sos.ca.gov पर जाएं।

अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, या अपनी राजनीतिक दल प्राथमिकता को चुनना या बदलना चाहते हैं, तो आपको मतदान करने के लिए फिर से पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए। आपके पंजीकरण को नवीनतम रूप देने का सबसे आसान तरीका RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण करना है।

मैं अपनी राजनीतिक दल प्राथमिकता का चुनाव कैसे करूँ?

आप मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने के समय कैलिफोर्निया के पात्र राजनीतिक दलों में से किसी एक को चुन सकते हैं। राजनीतिक दल प्राथमिकता का चुनाव करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में उस दल के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकते हैं।

आप अपने मतदाता पंजीकरण आवेदन-पत्र पर भी यह सूचित कर सकते हैं कि आप किसी राजनीतिक दल को चुनना नहीं चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको "किसी दल को प्राथमिकता नहीं" (NPP) मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति के प्राथमिक चुनाव में कुछ राजनीतिक दल NPP मतदाताओं को अपने उम्मीदवार चुनने में सहायता करने की अनुमति देते हैं। सभी चुनावों में, NPP मतदाता मतदान उपायों और मतदाता द्वारा नामित, स्थानीय और निष्पक्ष पदों के लिए प्रयासरत उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकते हैं।

राज्य-व्यापी प्राथमिक और आम चुनाव कैसे काम करते हैं?

प्राथमिक चुनाव निर्धारित करता है कि कौन-से उम्मीदवार कुछ माह बाद आयोजित किए जाने वाले आम चुनावों में जाएंगे। राज्य की विधान-सभा, अमरीका की काँग्रेस और राज्य के संवैधानिक कार्यालय मतदाता द्वारा नामित कार्यालय के रूप में जाने जाते हैं। किसी प्राथमिक चुनाव में, मतदाता द्वारा नामित किसी कार्यालय के लिए सभी उम्मीदवारों की सूची एक मत-पत्र पर दी गई होती है। कोई भी मतदाता प्रत्येक मुकाबले में किसी एक उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकता है, भले ही उसकी दल प्राथमिकता कुछ भी हो। प्रत्येक प्राथमिक मुकाबले में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले शीर्ष दो उम्मीदवार, भले ही उनकी पार्टी प्राथमिक्ता कोई भी हो, आम चुनाव पर चले जाते हैं। शीर्ष दो प्राथमिक के बाद, आम चुनाव अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए, भले ही एक उम्मीदवार को अधिकाँश मत (कम से कम 50 प्रतिशत +1) मिले हों और भले ही प्राथमिक चुनाव में केवल एक उम्मीदवार हों।

यह शीर्ष-दो प्राथमिक प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रपति, काउंटी की केंद्रीय समिति या स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती है।

क्या मैं मतदान करने के लिए **पंजीकृत हूँ?**

अपने मतदाता पंजीकरण की स्थिति की जांच करने के लिए, voterstatus.sos.ca.gov पर जाएं या अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।

क्या मैं डाक द्वारा मतदान कर सकता**/सकती हूँ?**

हाँ, कोई भी पंजीकृत मतदाता डाक द्वारा मतदान कर सकता है। आपको किसी चुनाव में डाक द्वारा मतदान करने का पात्र होने के लिए चुनाव के दिन से कम से कम सात दिन पहले अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय से डाक द्वारा मतदान करने के मत-पत्र के लिए अनुरोध करना होगा। अपनी काउंटी मतदाता सूचना गाइड में डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र आवेदन भरें, इसे www.sos.ca.gov से लें, या अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। आप अपना अनुरोध लिखित रूप में भी भेज सकते हैं जिसमें ये शामिल हो - आपका नाम और आपका निवास-पता, वह पता जिस पर आप डाक द्वारा मतदान मत-पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, आपके हस्ताक्षर, और उस चुनाव का नाम और तारीख जिसमें आप डाक द्वारा मतदान करना चाहते हैं।

यह पता लगाने के लिए कि क्या आप पहले से डाक द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन कर चुके हैं, voterstatus.sos.ca.gov पर जाएं या अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह समय-सीमा से पहले पहुँचे, डाक-द्वारा-मतदान मत-पत्र इनमें से एक तरीके द्वारा लौटाए जा सकते हैं:

- **डाक द्वारा:** आपके मतदान किए गए मत-पत्र पर चुनाव के दिन या उससे पहले डाक की मुहर ज़रूर लग जानी चाहिए और आपके काउंटी चुनाव कार्यालय को चुनाव के दिन के बाद तीन दिनों के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए।
- **स्वयं आकर:** आप अपना मतदान किया गया मतपत्र चुनाव के दिन शाम 8:00 से पहले अपने काउंटी चुनाव कार्यालय में, किसी डाक द्वारा मतदान मतपत्र डालने के स्थान, मतदान केंद्र (जहां लागू हो), या राज्य के अंदर किसी भी मतदान स्थल पर पहुँचा सकते हैं।

क्या मैं स्थाई रूप से डाक द्वारा मतदान करने के **लिए नाम** दर्ज करा सकता/**सकती हूँ**?

हाँ, कोई भी पंजीकृत मतदाता स्थाई रूप से डाक द्वारा मतदान करने और प्रत्येक चुनाव के लिए स्वतः डाक द्वारा भेजा गया मत-पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। आप किसी भी समय अपना "डाक द्वारा मतदान" दर्जा रद्द कर सकते हैं। आपका काउंटी चुनाव अधिकारी आपका स्थाई "डाक द्वारा मतदान" दर्जा केवल आपके अनुरोध पर या तब रद्द करेगा अगर आप लगातार चार राज्य-व्यापी आम चुनावों में मतदान नहीं करते हैं।

यदि मैं सैन्य या विदेशी मतदाता हूँ**, तो मैं कैसे पंजीकरण करवा सकता/सकती हूँ और कैसे** मतदान कर सकता/**सकती हूँ?**

मतदान करने के लिए **पंजीकरण करना:**

सैन्य या विदेशी मतदाता निम्नलिखित में से किसी भी तरीके का उपयोग करते हुए मतदान करने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं: (1) RegisterToVote.ca.gov पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑनलाइन फॉर्म; (2) fvap.gov/california पर फेडरल मतदान सहायता कार्यक्रम (FVAP) की ऑनलाइन सहायता; या (3) fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca2013.pdf पर उपलब्ध फेडरल पोस्ट कार्ड आवेदन (FPCA)। काउंटी के चुनाव अधिकारी डाक या फैक्स के माध्यम से FPCAs स्वीकार करेंगे।

मत-पत्र के लिए अनुरोध करना:

भले ही आप अपनी काउंटी में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं या थे, फिर भी विदेश में नौकरी करने और/या विदेश में रहने के दौरान अपनी काउंटी से अनुपस्थित होने के समय अपनी चुनाव सामग्रियाँ प्राप्त करने और मतदान करने के लिए आपको RegisterToVote.ca.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर या ऊपर किए गए वर्णन के अनुसार fvap.gov पर FPCA को भरकर, ऑनलाइन पंजीकरण के द्वारा डाक-द्वारा-मतदान मत-पत्र के लिए आवेदन करना होगा।

अपना मतदान किया गया मत-पत्र लौटाना:

प्रत्येक कैलिफोर्निया काउंटी के लिए मत-पत्र जमा करने के तरीके सहित, मत-पत्र वापस करने संबंधी सूचना sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर दी गई है। मतदान किए गए मत-पत्रों को ईमेल द्वारा वापस नहीं भेजा जा सकता।

मैं तब कैसे मतदान कर सकता/सकती हूँ जब मैं दूर स्थित कॉलेज में हूँ?

कॉलेज में पढ़ते समय घर से दूर रहने वाले कैलिफोर्निया निवासी के रूप में, आपके पास अपने घर के पते या अपने कॉलेज के पते का उपयोग करते हुए मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाने का विकल्प है। मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाने के समय, आप वह पता बता सकते हैं जिस पर आप पंजीकृत होना चाहते हैं और आप यह अनुरोध कर सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान आपको डाक-द्वारा-मतदान मत-पत्र डाक से भेज दिया जाए।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे मत-पत्र पर क्या होगा?

राज्य मतदाता सूचना गाइड:

पंजीकृत मतदाताओं को अपने-आप चुनाव के दिन से कुछ सप्ताह पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आधिकारिक मतदाता सूचना गाइड डाक से प्राप्त होगी। इस निष्पक्ष गाइड में राज्य-व्यापी मत-पत्र उपायों, कुछ उम्मीदवारों और मतदाता के अधिकारों के बारे में कुछ ब्यौरा दिया जाता है।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन मतदाताओं के लिए आधिकारिक मतदाता सूचना गाइड के ऑडियो और बड़े अक्षरों में प्रिंट के संस्करण तैयार करते हैं जो नेत्रहीन हैं या जिनकी दृष्टि कमज़ोर है। गाइडें 10 भाषाओं में छापी जाती हैं: अंग्रेज़ी, चीनी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पेनिश, टेगालॉग, थाई और वियतनामी। इन गाइडों के किसी मुफ्त संस्करण मंगवाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वोटर हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर फोन करें या sos.ca.gov पर जाएं।

काउंटी मतदाता सूचना गाइड:

काउंटी चुनाव अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को डाक द्वारा काउंटी मतदाता सूचना गाइड भेजते हैं। इस गाइड में यह दर्शाया जाता है कि आपका मत-पत्र कैसा दिखाई देगा और इसमें स्थानीय उम्मीदवारों, स्थानीय मत-पत्र विधेयकों, आपके मतदान स्थल के पते, डाक द्वारा मतदान मत-पत्र के लिए आवेदनपत्र तथा अन्य बातों के बारे में सूचना शामिल होती है। इस गाइड में इस बारे में भी वर्णन भी किया जा सकता है कि विकलाँग व्यक्ति कैसे गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं।

मैं मतदान स्थल पर मतदान कैसे करूँ?

अपने मतदान स्थल को खोजना:

जब आपको प्रत्येक चुनाव से पहले डाक द्वारा अपनी काउंटी मतदाता सूचना गाइड मिलती है, तो आपका मतदान स्थल पिछली जिल्द पर दिया गया होगा। यदि आपको अपनी गाइड नहीं मिली है तो अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। आप voterstatus.sos.ca.gov पर जाकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वोटर हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल करके, या GoVote (468-683) पर “Vote” का टेक्स्ट संदेश भेजकर भी अपना मतदान स्थल जान सकते हैं।

आपके मतदान स्थल पर:

कैलिफोर्निया में मतदान, मतदान दिवस पर सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुला रहता है। आपके मतदान स्थल पर, आप किसी मतदान कर्मचारी से मिलेंगे और वह आपको मतदान करने की प्रक्रिया समझाएंगे। चुनाव कर्मी आपको कागज का मत-पत्र, विशिष्ट पासकोड, या कंप्यूटर मैमोरी कार्ड देगा, जो आपकी काउंटी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वोटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि मत-पत्र पर निशान कैसे लगाना है या अपने मत-पत्र पर कोई गलती कर देते हैं, तो किसी चुनाव कर्मी से इस बारे में निर्देश देने के लिए कहें।

किसी मतदान केंद्र **पर:**

कुछ काउंटियां मतदान केंद्रों का इस्तेमाल कर रही हैं। मतदान केंद्र चुनाव के दिन से 10 दिन पहले तक खुले रहेंगे और यह मतदान स्थलों जैसे ही होते हैं। अधिक जानकारी के लिए sos.ca.gov पर जाएं या अपने काउंटी चुनाव कार्यालय को कॉल करें।

यदि मुझे कोई विकलां**गता हो या** मतदान करने के **लिए सहायता की ज़रूरत हो, तो?**

अगर आपको अपने मत-पत्र पर निशान लगाने के लिए सहायता की ज़रूरत है, तो आप अपनी सहायता के लिए एक या दो व्यक्तियों को चुन सकते हैं लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति आपका नियोक्ता, आपके नियोक्ता का एजेंट, आपकी लेबर यूनियन का नेता या आपकी लेबर यूनियन का एजेंट नहीं होना चाहिए।

विकलांग मतदाता:

राज्य और संघीय कानून यह अपेक्षा करते हैं कि मतदान स्थल और मतदान केंद्र असमर्थता वाले मतदाताओं के लिए शारीरिक रूप से पहुँचयोग्य होने चाहिएं। काउंटी चुनाव अधिकारी प्रत्येक स्थल का निरीक्षण करते हैं और अक्सर चुनाव के दिन के लिए स्थलों में अस्थायी सुधार करते हैं। किसी मतदान स्थल या मतदान केंद्र पर काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चुनाव कानूनों और विकलांग मतदाताओं के अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षित होता है।

इसके अलावा, राज्य व संघीय कानून यह भी आवश्यक करते हैं कि सभी मतदाता अपने मतपत्रों को निजी व स्वतंत्र रूप से दे सकें। प्रत्येक मतदान स्थल या मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से एक ऐसी वोटिंग मशीन होनी चाहिए जो नेत्रहीन या

कमजोर दृष्टि वाले लोगों सहित, मतदाताओं को सहायता के बिना मतपत्र देने का मौका देती है। वोटिंग मशीन से आप अपने मतदान करने के विकल्पों की जांच कर सकते हैं और, यदि इसमें कोई गलती है तो अपना अंतिम मत-पत्र जमा करने से पहले इन विकल्पों को ठीक कर सकते हैं।

अगर सड़क के किनारे मतदान उपलब्ध है, तो आप मतदान स्थल के यथासंभव करीब जा सकते हैं और चुनाव अधिकारी आपके लिए मतदान सामग्री लाएगा। यह पता लगाने के लिए अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें कि क्या सड़क के किनारे मतदान उपलब्ध है।

कुछ काउंटियां RAVBM (डाक द्वारा दूरस्थ पहुँचयोग्य मतदान) नामक पहुँचयोग्य विकल्प पेश करती हैं। RAVBM के माध्यम से असमर्थता वाले मतदाता अपने मतपत्र घर पर प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें चुनाव अधिकारियों को वापस भेजने से पहले उन पर स्वतंत्र और निजी तौर पर निशान लगा सकते हैं। यह देखने के लिए कि क्या यह विकल्प आपकी काउंटी में पेश किया जाता है, अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें।

भाषा संबंधी सहायता:

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट और काउंटी चुनाव कार्यालय संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित भाषाओं में अनेक प्रकार की चुनाव संबंधी सामग्रियाँ और सहायता उपलब्ध कराते हैं। सम्मिलित भाषाएं एक काउंटी से दूसरी काउंटी में भिन्न हो सकती हैं लेकिन इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकती हैं: चीनी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पेनिश, टेगालॉग, थाई और वियतनामी। अधिक जानकारी के लिए अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।

क्या मतदान करते समय मुझे पहचान-पत्र दिखाना **होगा**?

अधिकांश मामलों में, कैलिफोर्निया के मतदाताओं के लिए मतदान करने से पहले पहचान-पत्र दिखाना आवश्यक नहीं होता है। यदि आप डाक द्वारा या ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं और आपने पंजीकरण आवेदन पर अपनी कैलिफोर्निया पहचान संख्या, अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर या आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंतिम चार अंक प्रदान नहीं किए हैं, तो जब आप मतदान करने जाते हैं तब आपको किसी प्रकार की पहचान दिखाने के लिए कहा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आप मतदान के लिए अपने साथ पहचान संबंधी दस्तावेज लाएं या अपने "डाक द्वारा मतदान करें" मत-पत्र के साथ इसकी एक प्रति संलग्न करें। पहचान के स्वीकार्य रूपों की संपूर्ण सूची के लिए, अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या sos.ca.gov/elections/additional-elections-information/help-america-vote-act/ पर "Polling Place ID Requirements" (मतदान स्थल पर पहचान संबंधी अपेक्षाएं) पढ़ें।

यदि मतदान स्थल पर सूची में मेरा नाम **नहीं है तो**?

यदि मतदान स्थल की सूची में आपका नाम न हो, तो आपके पास अनंतिम मत-पत्र के साथ मतदान करने का अधिकार है। अनंतिम मत-पत्र सामान्य मत-पत्र जैसा लगता है लेकिन इसे विशेष लिफाफे में डाला जाता है। मत-पत्र की गिनती तब की जाएगी जब काउंटी के चुनाव अधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि आप उस काउंटी में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं और आपने उसी चुनाव में पहले ही मतदान नहीं किया है। कोई चुनाव कर्मचारी आपको इस बारे में जानकारी दे सकता है कि यह कैसे पता करना है कि क्या आपके अनंतिम मत-पत्र को गिना गया था, और यदि इसे नहीं गिना गया था तो उसका क्या कारण था।

काउंटी चुनाव कार्यालय

Alameda
(510) 272-6933

Alpine
(530) 694-2281

Amador
(209) 223-6465

Butte
(530) 538-7761

Calaveras
(209) 754-6376

Colusa
(530) 458-0500

Contra Costa
(925) 335-7800

Del Norte
(707) 465-0383

El Dorado
(530) 621-7480

Fresno
(559) 600-8683

Glenn
(530) 934-6414

Humboldt
(707) 445-7481

Imperial
(442) 265-1060

Inyo
(760) 878-0224

Kern
(661) 868-3590

Kings
(559) 582-3211
ext. 4401

Lake
(707) 263-2372

Lassen
(530) 251-8217

Los Angeles
(562) 466-1310

Madera
(559) 675-7720

Marin
(415) 473-6456

Mariposa
(209) 966-2007

Mendocino
(707) 234-6819

Merced
(209) 385-7541

Modoc
(530) 233-6205

Mono
(760) 932-5537

Monterey
(831) 796-1499

Napa
(707) 253-4321

Nevada
(530) 265-1298

Orange
(714) 567-7600

Placer
(530) 886-5650

Plumas
(530) 283-6256

Riverside
(951) 486-7200

Sacramento
(916) 875-6451

San Benito
(831) 636-4016

San Bernardino
(909) 387-8300

San Diego
(858) 565-5800

San Francisco
(415) 554-4375

San Joaquin
(209) 468-2885

San Luis Obispo
(805) 781-5228

San Mateo
(650) 312-5222

Santa Barbara
(805) 568-2200

Santa Clara
(408) 299-8683

Santa Cruz
(831) 454-2060

Shasta
(530) 225-5730

Sierra
(530) 289-3295

Siskiyou
(530) 842-8084

Solano
(707) 784-6675

Sonoma
(707) 565-6800

Stanislaus
(209) 525-5200

Sutter
(530) 822-7122

Tehama
(530) 527-8190

Trinity
(530) 623-1220

Tulare
(559) 624-7300

Tuolumne
(209) 533-5570

Ventura
(805) 654-2664

Yolo
(530) 666-8133

Yuba
(530) 749-7855

मतदान और चुनावों के बारे में अतिरिक्त सूचना के लिए
(888) 345-2692 पर फोन करें या www.sos.ca.gov।
पर जाएं।

TTY/TDD (800) 833-8683

अपने मतदान स्थल का पता लगाने के लिए, voterstatus.sos.ca.gov पर जाएं या “Vote” शब्द का टेक्स्ट संदेश GoVote (468-683) पर भेजें।

अपनी मतदाता पंजीकरण सूचना और आपसे संबंधित अन्य चुनाव संबंधी जानकारी ढूंढ़ने के लिए, voterstatus.sos.ca.gov पर जाएं

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 10 भाषाओं में मतदाता सहायता प्रदान करते हैं।:

English (800) 345-VOTE (8683)

中文 **/Chinese** (800) 339-2857

हिंदी **/Hindi** (888) 345-2692

日本語 **/Japanese** (800) 339-2865

ខ្មែរ **/Khmer** (888) 345-4917

한국어 **/Korean** (866) 575-1558

Español/Spanish (800) 232-VOTA (8682)

Tagalog (800) 339-2957

ภาษาไทย **/Thai** (855) 345-3933

Việt ngữ **/Vietnamese** (800) 339-8163

RegisterToVote.ca.gov

कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को Twitter @CASOSvote पर फॉलो करें और Facebook.com/CaliforniaSOS पर हमारे पेज को पसंद करें।

California Secretary of State Alex Padilla
www.sos.ca.gov

UNION LABEL OSP (11/15) 000000